दिनांक 16.09.2025 को मै0 कैलाश रिवर बैड मिनरल्स एस.एल.पी., द्वारा प्रस्तावित रेता, बजरी, बोल्डर खनन/चुगान(क्षेत्रफल–2.424 है0) हेतु आवेदित पर्यावरण स्वीकृति आवेदन के क्रम में आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

मै0 कैलाश रिवर बैड मिनरल्स एस.एल.पी. द्वारा खसरा नं0–270 मिन, ग्राम–लक्ष्मीपुर–3, त0–बाजपुर, उधमसिंहनगर में रेता, बजरी, बोल्डर खनन/चुगान(क्षेत्रफल–2.424 है0) प्रस्तावित किया गया है। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2006 के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति रो पूर्व लोक सुनवाई की अपेक्षा रखने वाले उद्योगों की श्रेणी में आच्छादित है। पर्यावरण स्वीकृति के लिए जन सुनवाई आयोजित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून में प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। लोक सुनवाई हेतु दैनिक समाचार पत्रों ''अमर उजाला''(उत्तराखण्ड संस्करण) व ''हिन्दुस्तान टाईम्स'' (दिल्ली संस्करण) में दिनांक 27.08.2025 के अंकों में जन सुनवाई की सूचना प्रकाशित कराई गयी थी। उक्त जन सुनवाई हेतु जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर द्वारा लोक सुनवाई की अध्यक्षता किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी, सितारगंज, उधमसिंनगर को नामित किया गया था।

इसी क्रम में दिनांक 16.09.2025 को प्रातः 11:00 बजे प्रस्तावित परिसर में लोक सुनवाई का आयोजन किया गया। लोक सुनवाई की उपस्थिति संलग्नानुसार रही (संलग्नक–1)।

सर्वप्रथम उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ओर से श्री सुनील कुमार, सहायक पर्यावरण अभियन्ता द्वारा पैनल अध्यक्ष की अनुमति से जन समुदाय का स्वागत करते हुए जन सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। सहायक पर्यावरण अभियन्ता द्वारा उपस्थित जन समुदाय से आग्रह किया गया कि पर्यावरणीय सलाहाकार द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से परियोजना से सम्बन्धित प्रस्ताव को ध्यान पूर्वक सुने तथा इसके पश्चात परियोजना से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की टीका–टिप्पणी, आपत्ति, सुझाव आदि लिखित व मौखिक रूप से पैनल को अवगत करायें। इसके पश्चात सहायक पर्यावरण अभियन्ता द्वारा उद्योग के पर्यावरणीय सलाहकार से विस्तार पूर्वक प्रस्तुतीकरण देने को कहा गया। इसी अनुक्रम में परामर्शी संस्था मै0 एजिस इन्टरवारमैन्ट रिसर्च प्रा0 लि0, नोएडा द्वारा बनाई गयी ई.आई.ए. रिपोर्ट पर परियोजना के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया गया।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात सहायक पर्यावरण अभियन्ता, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर, उधमसिंहनगर द्वारा परियोजना के सम्बन्ध में सभा मे उपस्थित जन समुदाय को उनके सूझाव एवं आपत्तियां लिखित व मौखिक रूप से आमंत्रित किये जाने हेतु कहा गया तथा जन समुदाय द्वारा निम्नानुसार सूझाव एवं आपत्तियां दर्ज की गयी–

1. **श्री रजविन्दर सिंह, ग्राम–लक्ष्मीपुर–** उनके द्वारा कहा गया कि, खनन कार्य करते समय निरन्तर सड़कों पर पानी का छिड़काव होना चाहिए तथा मजदूरों के पानी पीने की व्यवरथा होनी चाहिए तथा वाहनों का ढक कर ले जाये जाने की बात कही। उनके द्वारा बताया गया कि क्षेत्री में पानी की समस्या होती हैं। अतः क्षेत्र मे बोर आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए। खनन कार्य से पूर्व पिचिंग का कार्य कराया जाना चाहिए। उनके द्वारा ग्राम–लक्ष्मीपुर के विकास हेतु कार्य किये जाने का अनुरोध किया गया। है।

2. **श्री बिन्दर सिंह, ग्राम–लक्ष्मीपुर–** इनके द्वारा बताया गया कि सड़के काफी खराब हैं तथा पानी की कमी से नल भी सूख गये हैं। उनके द्वारा कहा गया कि डम्परों के आवागमन के के समय पानी का छिड़काव किया जाना चाहिए। उनके द्वारा उक्त सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए खनन कार्य किये जाने की बात कही।

3. **श्री राहुल चौधरी ग्राम–लक्ष्मीपुर–** इनके द्वारा पृक्षा की गयी कि यदि खनन वाहगों के आवागमन के समय यदि कोई गरीब आदमी को चोट पहुंचती है या कोई अनहोनी होती है। तो उसके लिए क्या उपाय किये जायेगें या उसके परिवार को किस तरह की मदद मिलेगी ?

4. **श्री निशान्त ग्राम–लक्ष्मीपुर–** इनके द्वारा कहा गया कि खनन कार्य होने से सड़के खराब होती है। धूल आदि की समस्या बनी रहती है। बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनके द्वारा उक्त सभी बातों का ध्यान रखते हुए खनन कार्य करने की बात कही। कि यदि खनन वाहनों के आवागमन के समय यदि कोई गरीब आदमी को चोट पहुंचती है या कोई अनहोनी होती है। तो उसके लिए क्या उपाय किये जायेगें या उसके परिवार को किस तरह की मदद मिलेगी ?

5. **श्री करमजीत सिंह ग्राम–मड़िया बक्शी–** इनके द्वारा कहा गया कोई पट्टा स्वीकृत होता है तो खनन कार्य होने से नदी कटाव बढेगा तथा नदी का बहाव बांध की तरफ होगा। उनके द्वारा कहा गया कि पिचिंग होने के पश्चात ही पट्टा स्वीकृत होना चाहिए तथा खनन कार्य मानकों के अनुरूप होना चाहिए। उनके द्वारा बताया गया कि 3 मीटर की गहराई तक खनन तक कार्य करने पर पानी का लेवल काफी नीचे आ जायेगा। उनके द्वारा कहा गया कि कृषि कार्य ही स्थानीय लोगों की जीविका है। पानी का स्तर नीचे आने से कृषि कार्य हेतु पानी नहीं मिलता तथा पानी से नल भी सूख जाते है। उनके द्वारा कहा गया कि खनन कार्य कृषि क्षेत्र में नही होना चाहिए। यह क्षेत्र कृषि का क्षेत्र है। खनन चले या ना चलें। उनके द्वारा पृक्षा की गयी कि खनन के बाद भू–कटाव होता है तो उसका हर्जाना कौन देगा ?

इसके पश्चात सहायक पर्यावरण अभियन्ता, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर द्वारा परियोजना प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि जन सामान्य द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर दे तथा उन्हे अपनी एक्शन प्लान में दर्ज करें। परियोजना प्रतिनिधि द्वारा आश्वासन दिया गया गया कि खनन कार्य मानको के आधार पर किया जायेगा तथा खनन कार्य करने से पूर्व ग्रामीणों से वार्ता की जायेगी तथा उनके सहयोग से ही कार्य किया

जायेगा। परियोजना प्रतिनिधि तथा उपस्थित जन समुदाय के सुझावो को अपने प्लान में संकलित कर उस पर अमल किये जाने का आश्वासन दिया गया।

अन्त में सहायक पर्यावरण अभियन्ता, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर द्वारा जन सामान्य को पुनः अपनी बात लिखित या मौखिक रूप से रखने को कहा गया। इसी क्रम में जन सुनवाई के दौरान श्री रघुवीर सिंह द्वारा लिखित रूप में अपना प्रत्यावेदन पैनल का दिया गया (संलग्नक–2)।

अन्त में पैनल अध्यक्ष महोदय की अनुमति से तथा धन्यवाद ज्ञापित करते हुए लोक सुनवाई की कार्यवाही का समापन किया गया।

(सुनील कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर।

(एस.पी. सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर।

(डॉ अमृता शर्मा)
उपजिलाधिकारी, बाजपुर।
जिला–उधमसिंहनगर।

मै० कैलाश रिवर बेड मिनरल्स ([illegible]) ग्राम- लक्ष्मीपुर-3, ता० जसपुर ऊधमसिंहनगर (2.525 हेक्टेयर) की पर्यावरणीय लोक सुनवाई में

उपस्थिति का विवरण -

दिनांक - 16.09.2025
समय - 11:00 बजे

क्रमसं०	नाम	पता	हस्ताक्षर	दूरभाष नं.
1	Dr. Amrita Sharma	SDM Jaspur	[signature]	8060906065
2	Sunil Kumar	AEE, PCB Kashipur	[signature]	7895438345
3	दीपक कुमार चौहान	राजस्व उपनिरीक्षक तह० जसपुर	[signature]	9412017560
4	राजेन्द्र कुमार एडवोकेट	सुल्तानपुर पट्टी	[signature]	7060072211
5	गौरव यादव	सुल्तानपुर पट्टी	[signature]	4060131594
6	Kuldip	लक्ष्मीपुर	[signature]	
7	पिन्दर सैनी	" "		
8	रणविन्दर सिंह	" "	[signature]	9012Au
9	सुरेन्द्र कौर	" "	[signature]	925839
10	प्रदीप सिंह	"	प्रदीप सिंह	8171113801
11	Vinay kumar	"	[signature]	7884102491